[श्री प्रदीप टम्टा]

ऊपर है, लेकिन इन मोटर मार्गों पर पक्कीकरण का काम अभी नही हुआ है। सरकार की तरफ से कोई साफ-सफाई नही की गई है और न ही कोई गैंगमैन इस पर नियुक्त किया गया है। उक्त मोटर मार्ग पर कंटीली झाड़ियों का पूरी तरह से जाल बिछ चुका है, जिसके कारण ग्रामवासियों को बहुत दिक्कतों एवं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मैं सरकार से माँग करता हूँ कि ग्रामवासियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर उक्त मोटर मार्गों को, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ चुके हैं, इन मोटर मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए एवं बहेड़ाखाल-अलासू-कुनकुली मोटर मार्ग के पक्कीकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को तुरंत आवश्यक निर्देश जारी करें।

MR. CHAIRMAN: The next Special Mention is of Shri Sanjay Raut, he is not present. Now, the next Special Mention is of Ch. Sukhram Singh Yadav.

Demand to fill vacant posts in Police Forces and to undertake police reforms

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, देश में आवश्यकता के अनुरूप कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का काम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जारी रहती है, पर कानून के पालन हेतु जितने संसाधन होने चाहिए, उसमें बड़ी संख्या में कमी देखी जा सकती है। चूंकि, कानून अपने आप काम नही करता, उसके पालन हेतु पर्याप्त पुलिस, न्यायाधीश व अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, लेकिन देश के किसी भी राज्य के पास न तो स्वीकृत पदों के अनुरूप पुलिस है, न ही स्वीकृत पदों के अनुरूप न्यायाधीश हैं और न अन्य अधीनस्थ कर्मचारी हैं। ऐसे हालात में वर्षों तक न्याय की आस में लोग भटक रहे हैं। स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्तियां न होने से लोगों को न्याय मिलने में अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ रहा है। देश में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उनके बढ़ने का एक प्रमुख कारण अपेक्षा के अनुरूप पुलिस बल न होना है। एक तरफ तो बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ स्वीकृत पदों पर पुलिस की नियुक्तियां वर्षों तक नही की जाती हैं। स्वीकृत पदों पर पुलिस बल की नियुक्तियां पूर्ण करके बहुत सारे अपराध रोके जा सकते हैं, जिन्हें कम पुलिस बल होने के कारण वर्तमान में रोकने में कामयाबी नही मिल पा रही है।

महोदय, मेरी सदन के माध्यम से माँग है कि न्यायहित में स्वीकृत पुलिस बल की खाली पदों पर नियुक्तियां पूर्ण की जाएं और पुलिस सुधार हेतु अविलम्ब आवश्यक कदम उठाए जाएं, जिससे जनमानस को न्याय मिलने में विलंब का सामना न करना पड़े।

Demand to release the MGNREGA Fund for Chhattisgarh

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रस्तावित राशि 1,982.15